कार्यालय जिला परिषद, औरंगाबाद।

बन्दोवस्ती सूचना

अल्पकालीन

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला परिषद, औरंगाबाद के नियंत्राधीन औरंगाबाद बस पड़ाव में वाहनों से टॉल टैक्स (चूंगी) वसूली हेतु वर्ष 2020–21 (दिनांक–01.04.2020 से 31.03.2021 तक) के लिए खुले डाक के माध्यम से बन्दोवस्ती दिनांक–28.03.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में जिला परिषद कार्यालय प्रकोष्ठ में अधोहस्ताक्षरी/उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। यदि उक्त निर्धारित तिथि को डाक नही होती है , तो दिनांक 30.03.2020 को डाक की जाएगी। अगर उपरोक्त दोनो निर्धारित तिथि को डाक नहीं होता है ,तो दिनांक 31.03.2020 को उपरोक्त निर्धारित स्थल एवं समय पर डाक की जाएगी। डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को डाक के एक दिन पूर्व 1.00 बजे अपराहन तक स्व लिखित आवेदन सभी आवश्यक कागजात एवं अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा करना होगा। बन्दोवस्ती संबंधित सूचना जिले के वेवसाईट **www.auranabad.bih.nic.in** पर भी अपलोड हैं।

बन्दोवस्ती की शर्तें

1. बन्दोवस्ती वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) के लिए की जाएगी।
2. डाक की सुरक्षित राशि मो0 2901833.00 (उनतीस लाख एक हजार आठ सौ तेतीस) रू0 होगी, जिसके उपर डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्यिों को बोली लगानी होगी।
3. डाक में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को आवेदन के साथ मो0 580366.00 (पांच लाख अस्सी हजार तीन सौ छेयासठ) रू0 अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, औरंगाबाद के पदनाम से होना चाहिए।
4. सफल डाकवक्ता को डाक समाप्ति के उपरान्त उसी दिन डाक राशि का पूर्ण राशि जमा करना होगा। राशि जमा करने का साक्ष्य एन0आर0 के रूप में अथवा चेक के रूप में देना अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर जमा की गयी अग्रधन की राशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम डाकवक्ता को अवसर दिया जाएग। यह नियम द्वितीय एवं तृतीय डाकवक्ता पर लागू होगा।
5. असफल डाक वक्ताओं द्वारा जमा की गयी अग्रधन राशि डाक समाप्ति उपरान्त आवेदन प्राप्त होने पर वापस कर दी जाएगी।
6. डाक में भाग लेने वाले व्यक्यिों को जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः माह के अन्दर का हो) प्रस्तुत करना होगा।
7. डाक वक्ता को स्वलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध सरकार का कोई वसूलनीय राशि बकाया नहीं हैं।

8. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को विगत दो वर्षो यथा 2017–18 एवं 2018–19 का आयकर रिर्टन का प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
9. डाक कराने वाले पदाधिकारी को बिना कारण बताये और बिना पूर्व सूचना दिये ही डाक को स्थगित करने या अस्वीकृत करने अथवा उपरोक्त किसी नियम एवं शर्त को पूर्णतः या अंशतः शिथिल/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
10. बन्दोवस्तधारी को अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये युक्तिसंगत सभी आदेशों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. आवेदनकर्ता को स्वयं डाक में भाग लेना होगा। निबंधित प्रतिष्ठान के मामले मं अधिकृत प्रतिनिधि डाक में भाग ले सकेगें।
12. इस पड़ाव में वाहनों से चूंगी वसूलने की दरो को निर्धारित करने का अधिकार मात्र अधोहस्ताक्षरी को होगा।
13. बन्दोवस्तदारी निम्नांकित स्वीकृत दरों के अनुसार ही चूंगी वसूलने के अधिकारी होगें, उसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वसूली नहीं करेगें।
14. चूंगी वसूली के सबूत में बन्दोवस्तदारी को स्वयं के खर्च से मुद्रित रसीद वाहन चालको को देना होगा। बस पड़ाव के अन्दर जिला परिषदीय दुकानों, कैन्टीन, शौचालय से चूंगी वसूली का अधिकार बन्दोवस्तधारी को नहीं होगा।
15. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्रांक–509 (9)रा0, दिनांक–17.08.2015 से प्राप्त निदेश के आलोक में सैरात बन्दोबस्तदारी को उच्चतम डाक राशि के 5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत यानी 10 प्रतिशत निबंधन कार्यालय में सफल बन्दोबस्तदार द्वारा जमा कर चालान की प्रति जिला परिषद, कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने पर बन्दोबस्तदार को परवाना निर्गत किया जायेगा।
16. बन्दोवस्तदारी को बस पड़ाव की नियमित साफ सफाई स्वयं के खर्च से कराना होगा एवं किसी भी प्रकार के नई संरचना निर्माण करने का अधिकार बन्दोवस्तदारी को नहीं होगा।
17. बन्दोवस्तदारी बस पड़ाव से वाहनो से निम्न निर्धारित दर पर चूंगी वसूल करने के अधिकारी होगें।

चूंगी दर

क्र0	वाहन	चूंगी वसूली का दर (रू0में)
1	बस/मिनी बस	55.00
2	मैक्सी /मेटाडोर	35.00
3	मैजिक/जीप/ट्रेकर	20.00
4	टम्पु	8.00

ह0
उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य,
कार्यपालक पदाधिकारी ,जिला परिषद,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक 190 /जि०प०,दिनांक – 19·3·2020

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, औरंगाबद/आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद/अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं दाउदनगर/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं दाउदनगर एवं जिला सूचना एवं जन सर्म्पक पदाधिकारी औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित कराने की कृपा करे।

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एंव जनसर्म्पक विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद जिला एवं सभी अंचल अधिकारी औरंगाबाद जिला/सभी थाना प्रभारी, को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– पूर्व के सभी प्रथम एव द्वितीय डाक वक्ता को सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता जिला परिषद, औरंगाबाद/सभी कनीय अभियन्ता जिला परिषद, औरंगाबाद/रोड सरकार सभी को सूचनार्थ एवं उन्हें आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने स्तर से व्यापक पैमाने पर प्रचार–प्रसार का कार्य करायेगें।

प्रतिलिपि– नगर थाना औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्धारित तिथि को ज़िला परिषद कार्यालय में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य,
कार्यपालक पदाधिकारी ,जिला परिषद,
औरंगाबाद।
17/3/2020